बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः— राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत "ममता" कार्यकर्त्ता के प्रोत्साहन राशि रू0 300/— में अतिरिक्त रुपये 300/— की वृद्धि करते हुए प्रति प्रसव रू0 600/— की दर से भुगतान किये जाने की स्वीकृति।

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर, अनुमडल, रेफरल अस्पतालो एव प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सस्थागत प्रसव के बाद माता एव नवजात शिशु की देख—भाल के लिए मानदेय के आधार पर "ममता" की सेवा ली जाती है । ममता कार्यकर्त्ता प्रसव हेतु आयी महिलाओ को उपरोक्त संस्थानो में आने से लेकर उनके प्रसव के बाद वापस जाने तक एक सहयोगी के रूप में उनके साथ रहती है। "ममता" का मुख्य कार्य नवजात शिशु का वजन, एक घटे के अन्दर स्तनपान, प्रसूति की साफ—सफाई, नवजात शिशु के रोगो के लक्षण की पहचान एवं संबधित चिकित्सक/नर्स को बताना, टीकाकरण, हाइपरथर्मिया, कम वजन के शिशुओ की देख भाल, कगारू केयर एवं परिवार नियोजन के बारे मे समुचित सलाह आदि प्रदान करना है।

2 विभागीय संकल्प—सह—ज्ञापांक 497(12) दिनांक 20.08.09 के आलोक मे "ममता" कार्यकर्ता जो एक स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ता है जिन्हे वर्ष 2008 से वित्तीय वर्ष 2015—16 तक 100/—रूपये प्रति प्रसव की दर से राज्य सरकार द्वारा से वहन किये जाने के उपरान्त विभागीय सकल्प—सह—ज्ञापाक 457(12) दिनांक 26.05.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016—17 से 100/—रूपये के स्थान पर प्रति प्रसव 300/— रूपये भुगतान की जा रही है। विभागीय संकल्प—सह—ज्ञापाक सख्या 382(12), दिनाक—16.04.2018 द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों मे भी ममता की सेवा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. वर्तमान में बढती हुई महंगाई एव "ममता" कार्यकर्त्ता की कार्य अवधि जो लगभग एक पूर्ण दिन होती है एव कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर, अनुमडल, रेफरल अस्पतालों एव प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत "ममता" कार्यकर्त्ता के प्रोत्साहन राशि रू0 300/— में अतिरिक्त रुपये 300/— की वृद्धि करते हुए प्रति प्रसव रू0 600/— की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में नये निर्धारित दर को देखते हुए राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, सदर, अनुमंडल, रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर ममता कार्यकर्त्ताओ के लिए प्रसवो की कुल अनुमानित संख्या के आधार पर लगभग कुल रूपये 1,04,52,00,000/— (रुपये एक अरब चार करोड बावन लाख) मात्र के व्यय की संभावना का आकलन किया गया है ।

5 उक्त राशि के व्यय का वहन वित्त विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक मे माग सख्या–20 मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए, एलोपैथी–110 अस्पताल तथा औषधालय–0127 ममता कार्यकर्त्ता विपत्र कोड–20–2210011100127 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–28 02–संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत किया जायेगा।

6. इस प्रस्ताव को मत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनाक–05 08 2025 के मद सख्या–34 के रूप मे सम्मिलित एव स्वीकृत किया गया है ।

7 संकल्प प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या–07/विविध–08–27/2021 के पृ0–106/टि0 मे प्राप्त है ।

8 यह सकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.8.25

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–07/विविध–08–27/2021–178(7)/स्वा0, पटना, दिनांक– 06/08/2025

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एव बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य मत्री सचिवालय /मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सरकार के सभी विभाग/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी जिला उप विकास आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना /सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/सबधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.8.25

सरकार के अपर सचिव।